फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

रामानन्द / कैलाश

केस संख्या : 86/2024 (T-F)

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26.6.2025	पत्रावली प्रस्तुत। प.क्र. 34। उभयपक्ष अधि० की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण निःखातेदार है। अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन के उक्त आराजी को खुर्द-बुर्द एवं बेचान करने पर आमादा है, यदि अप्रार्थीगण उक्त कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है, अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया वाद बंटवारे से संबंधित है, यदि अप्रार्थीगण बिना विधिक तकासीम के विवादित भू-भाग को खुर्द-बुर्द एवं बेचान करते है तो प्रार्थीगण/वादीगण के वाद का औचित्य समाप्त होने की संभावना है। अतः वाद बाहुल्यता को रोकने व उनके संरक्षण हेतु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2024 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। उक्त स्थगन आदेश जरिये [illegible] मौकाओ पर चस्पा [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर